FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... दीनदयाल

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–02 सन्–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज **मुकदमा नम्बर–02/2022**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.03.2022	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम मण्डावर भूमि ख0न0 660/2070 रकबा 0.02 है0 राजकीय भूमि किस्म गै0मु0पहाड़ पर गैरसायल दीनदयाल पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी निवासी मण्डावर द्वारा चारदीवारी कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल द्वारा एक विक्रय विलेख की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई जो अप्रमाणित है एवं ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा जारी किया गया है। परन्तु इस फोटोप्रति में कहीं भी कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं है कि पट्टा कोनसे ख0न0 पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। और ना ही स्पस्ट जवाब गैर सायल द्वारा पेश किया गया। अतः पटवारी हल्का की 91 की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रगित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 0.88 रूपये का 50 गुणा 44 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली, वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। गांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा)	

रा0 ले0 स0 4 वर्ष–2078 की
पृ0 सं0–1–पर–44 रू के
मांग कायम की गई।
(हस्ताक्षर)
तहसील राजस्व लेखाकार